108

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4290—तीन/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—08—2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 480/निगरानी/2008—09.

.....

1—योगेश सिंह तनय रामनारायण सिंह
2—सुरेश सिंह तनय रामनारायण सिंह
निवासीगण ग्राम माड़ी तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0 प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—रामेश्वर सिंह तनय जगन्नाथ सिंह
निवासी ग्राम हरिहरपुर तहसील हुजूर
जिला रीवा म0 प्र0
2—म0 प्र0 शासन

—— अनावेदकगण

.....

श्री दिवाकर सोहगौरा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजेन्द्र तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक—क0—1
अनावेदक कमांक—2 की ओर से कोई उप0 नहीं

.....

आदेश

(आज दिनांक 17-01-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—08—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक रामेश्वर सिंह की ओर से तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि खसरा क्रमांक 205/1क रकवा 0.21 एकड़ तथा 205/1ख रकवा 0.21 एकड़ स्थित मौजा खुटेही तहसील हुजूर जिला रीवा का सीमांकन करने बावत निवेदन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 47/अ–12/97–98 में पारित आदेश दिनांक 10.9.98 को सीमांकन का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व भास्करदत्त की ओर से कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 106/अ–12/निगरानी/98–99 प्रस्तुत की गई थी। कलेक्टर जिला रीवा द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 26.5.03 द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये, आदेशित किया गया कि अधीक्षक भू–प्रबन्धन रीवा द्वारा टीम गठित कर 15 दिवस में सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार हुजूर के समक्ष प्रस्तुत करें, अधीक्षक भू–प्रबन्धन रीवा द्वारा टीम गठित करने के पश्चात नक्शा तरमीम कर 10.6.08 को आदेश दिया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.6.08 को आदेश पारित किया जिससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 15.7.09 को अमान्य किया गया। इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की,जो उनके द्वारा दिनांक 3.8.13 को निगरानी निरस्त की गई इसी दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत करते हुये लेख किया गया है कि आराजी क्रमांक 205/1ड रकवा 0.033 है0 स्थित ग्राम खुटेही जनरल नं0 135, पटवारी हल्का रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा के भूमिस्वामी स्वत्व आधिपत्यधारी निगरानीकर्तागण हैं, और आवेदकगण का आराजी नं0 205/1ड रकवा 0.033 है0 में मौके से पक्का मकान भी बना हुआ है और निगरानीकर्तागण का मकान मौके से निर्मित होने बावत प्रविष्टि राजस्व खसरे में भी दर्ज है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी लेख किया गया है कि कलेक्टर जिला रीवा द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 26.5.03 द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख रीवा द्वारा गठित दल के द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया है लेकिन आवेदकगण को किसी रूप से कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि निगरानीकर्ता आराजी नं0 205 के उपखण्ड आराजी क्रमांक

205/1ड रकवा 0.033 है0 का भूमिस्वामी था और आवेदकगण का पक्का मकान भी मौके से निर्मित था किन्तु आवेदकगण को बगैर सूचना दिये ही पक्का मकान मौके से स्थित होने के बावजूद आवेदकगण के मकान व कब्जे दखल वाले स्थान पर अनावेदक के नाम नक्शा तरमीम कर दिया गया जिसकी पुष्टि पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 11.9.17 से होती है। कलेक्टर जिला रीवा द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 26.5.03 द्वारा आदेश के पैरा कमांक–8 में निर्देशित किया गया है कि टीम गठित कर प्रश्नाधीन भूमि का वधिवत सीमांकन की सूचना सरहददी कास्तकारों को देते हुये 15 दिवस में सीमांकन की कार्यवाही करें। तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम का आदेश कर दिया गया और आवेदकगण को सूचना व सुनवाई का अवसर किसी रूप में न तो जांच के दौरान और न ही तहसीलदार तहसील हुजूर के न्यायालय द्वारा ही कभी किसी रूप से दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अपनी बहस में कहा गया है कि आराजी नं0 205 के उपखण्ड कमांक 205/1/घ/1 रकवा 0.080 है0 के सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 10.3.16 में भी उल्लेखित किया गया है कि मौके के कब्जे दखल के विपरीत नक्शा तरमीम है, जो कि विसंगति पूर्ण है, जिससे सीमांकन संभव नहीं है, जिससे भी स्पष्ट है कि आराजी नं0 205 के उपखण्डों के बावत मौके से कब्जे दखल के विरूद्व नक्शा तरमीम किया गया है, सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 10.3.16 का अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी नं0 205 के उपखण्डों के नक्शा तरमीम बावत कलेक्टर रीवा का कोई आदेश नहीं हे और न ही कलेक्टर रीवा द्वारा आराजी कमांक 205 के नक्शा तरमीम बावत किसी न्यायालयीन प्रकरण की सुनवाई ही की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कलेक्टर रीवा के प्रत्यावर्तित रिमाण्ड आदेश दिनांक 26.5.03 बावत प्रकरण कमांक 106/अ–12/निगरानी/98–99 को मूल आदेश मानकर निगरानीकर्ता का प्रकरण निरस्त किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया आराजी नं0 205/1ड. रकवा 0.033 है0 स्थित ग्राम खुटेही का नक्शा तरमीम मौके का नक्शा तरमीम किय जाने हेतु आदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

दिनांक 3.8.13 निरस्त कर विधिवत नक्शा तरमीम हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित कर आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक कमांक–1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा अपनी लेखी बहस में तर्क लेख किया गया है कि कलेक्टर जिला रीवा का आदेश प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार तहसील हुजूर के द्वारा दिनांक 23.6.08 को आदेश पारित करते हुये तरमीम प्रस्ताव अनुलग्न ''ख'' के अनुसार नक्शा तरमीम किया गया तहसीलदार के ओदेश दिनांक 23.6.08 को चुनौती देते हुये आवेदकगण की ओर से अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में पहली बार निगरानी प्रकरण कमांक 155/अ–121/2008–09 प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा यही आपत्ति उठाई गयी कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा मौके की स्थिति के विपरीत व कब्जे के विपरीत नक्शा तरमीम किया गया हैं अपर कलेक्टर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.7.09 में यह मान्य किया गया कि कलेक्टर रीवा के निर्देश पर अधीक्षक भू–अभिलेख के द्वारा दल गठित कर मौके की जांच की गई है मौके से किये गये कब्जे के अनुसार गठित दल द्वारा तरमीम प्रस्ताव नजरी नक्शा अनुलग्न ''ख'' प्रस्तुत किया गया था जिससे सहमत होते हुये कलेक्टर रीवा के द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर को नक्शा तरमीम किये जाने का आदेश दिया गया था तहसीलदार द्वारा तरमीम प्रस्ताव नजरी नक्शा के अनुलग्न ''ख'' अनुसार ही नक्शा तरमीम का आदेश दिनंक 23.6.08 को दिया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपर कलेक्टर द्वारा यह भी मान्य किया गया कि अधीक्षक भू–प्रबंधन के द्वारा गठित दल ने मौके से जाकर जो कार्यवाही की गई है वह पूरी तरह से वैधानिक है उनके द्वारा यह मान्य किया गया है कि नक्शा तरमीम के पश्चात दिनांक 27.2.09 को जो सीमांकन कार्यवाही की गंई है उसमें भी कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपर कलेक्टर के द्वारा आवेदकगण की निगरानी सारहीन पाते हुये दिनांक 15.7.09 को निरस्त कर दी गई थी। उनके द्वारा अपनी लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 26.5.03 के पालन में अधीक्षक भू–अभिलेख के द्वारा गठित दल ने मौके से जांच की है। और जांच के अनुसार मौके से पाये जाने की स्थिति के

अनुसार ही तरमीम प्रस्ताव का नजरी नक्शा अनुलग्न ''ख'' प्रेषित किया गया था जिसमें सहमत होते हुये कलेक्टर रीवा के द्वारा अनुलग्न ''ख'' के अनुसार नक्शा तरमीम किये जाने का आदेश दिया गया था। फलस्वरूप अन्य बटा नम्बरों के साथ ही अनावदेगण के स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 205/1क एवं 205/1ख की नक्शा तरमीम की कार्यवाही पूरी तरह से वैधानिक है, और नक्शा तरमीम के आधार पर ही किया गया सीमांकन दिनांक 27.02.09 पूर्णतः वैधानिक हैं। आवेदकगण के द्वारा उक्त दो बिन्दुओं के अलावा अन्य कोई बिन्दु अपने निगरनी व लेखित तर्क में नहीं उठाये गये हैं , जो बिन्दु उठाये गये हैं उनकी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सुनवाई करते हुये आदेश पारित किये गये है। आवेदकगण द्वारा उठाया गया यह बिनदु भी सारहीन होने से कलेक्टर रीवा द्वारा पारित किये गये रिमाण्ड आदेश दिनांक 26.5.03 का पालन नहीं किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनुरोध किया गया है किअपर आयुक्त रीवा का आदेश पूर्ण विधि से उचित होने से स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण की लेखी बहस का अध्ययन किया गया तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला रीवा द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 26.5.03 द्वारा आदेश के पैरा क्रमांक–8 में निर्देशित किया गया था कि दल गठित कर प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन की सूचना सरहददी कास्तकारों को देते हुये 15 दिवस में सीमांकन की कार्यवाही करें। तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम का आदेश कर दिया गया और आवेदकगण को सूचना व सुनवाई का अवसर किसी रूप में न तो जांच के दौरान और न ही तहसीलदार तहसील हुजूर के न्यायालय द्वारा ही कभी किसी रूप से दी गई, जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विरूद्व है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आराजी नं0 205 के उपखण्ड कमांक 205/1/घ/1 रकवा 0.080 है0 के सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 10.3.16 में भी उल्लेखित किया गया है कि मौके के कब्जे दखल के विपरीत नक्शा तरमीम है, जो कि विसंगति पूर्ण है, जिससे सीमांकन संभव नहीं है, जिससे भी स्पष्ट है कि आराजी नं0 205 के उपखण्डों के बावत मौके से कब्जे दखल के

विरूद्व नक्शा तरमीम किया गया है, सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 10.3.16 का प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 106/अ–12/निगरानी/98–99 में पारित आदेश दिनांक 26.5.03 के पैरा –8 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि " **अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नाधीन आदेश भूमि का सीमांकन व नियम विरूद्व है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10.9.98 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीक्षक भू–प्रबंधन रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि टीम गठित कर प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन की सूचना काश्तकारों को देते हुये 15 दिन के अन्दर सीमांकन की कार्यवाही करें**"। प्रकरण में संलग्न स्थल पंचनामा एवं सूचना पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है और न ही उनको सूचना दिये जाने का कोई उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण को सूचना नहीं की गई है। "म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।"इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।"स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं – "म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।" 1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना

नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट होता है कि सीमांकन की प्रकिया का पालन नहीं किया गया है और इस ओर अपर कलेक्टर जिला रीवा एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर जिला रीवा एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 155/अ–12/08–09 में पारित आदेश दिनांक 13.7.09 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 480/निगरानी/08–09 में पारित आदेश दिनांक 3.8.13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सूचना एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर